

Rcms / 2012 / 00051

मिसल नं० 21/2012 सरकार जयें तहसीलदार लाडपुरा बनाम दुर्गाशंकर पुत्र ग्यास्या मेघवाल नि० मण्डाना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01-11-19	<p>पेरोकार सरकार उपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970) के नियम 14 (4) के अन्तर्गत आवंटन खारिज करने हेतु प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि आवंटी श्री दुर्गाशंकर पुत्र ग्यारस्या जाति मेघवाल निवासी मण्डाना तहसील लाडपुरा को ग्राम मण्डाना की ख० नं० 422/1 रकबा 1.28 है० भूमि आवंटित हुई थी । आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त करने हेतु दिनांक 11.06.2011 को प्रस्तुत किया है ।</p> <p>तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई । सरपंच ग्राम पंचायत मण्डाना पं० सं० लाडपुरा व पटवारी हल्का की रिपोर्ट दि० 26.09.16 से अवगत कराया कि दुर्गाशंकर पुत्र ग्यारस्या मेघवाल नाम का कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत मण्डाना मे निवास नहीं करता है ।</p> <p>इस न्यायालय के पत्र क्रमांक:रीडर/एडीएम/2016/5 दि० 02.01.2018, 533 दि० 26.06.2018, 15 दि० 04.01.2019 व 773 दि० 08.08.2019 से तहसीलदार लाडपुरा को लिखे जाने पर भी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अप्रार्थी का वर्तमान पता नहीं बताया है और न ही कोई रिपोर्ट भिजवाई है ।</p> <p>सरपंच ग्राम पंचायत मण्डाना पं० सं० लाडपुरा व पटवारी हल्का की रिपोर्ट दि० 26.09.16 के अनुसार दुर्गाशंकर पुत्र ग्यारस्या मेघवाल नाम का कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत मण्डाना मे निवास नहीं करता है । जिससे अप्रार्थी की तलबी किया जाना संभव नहीं है । अतः तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस निर्देश के साथ खारिज किया जाता है कि तहसीलदार आवंटी का सही पता अंकित करते हुए पुनः नये सिरे से उक्त आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें । मूल आवंटन पत्रावली तहसीलदार लाडपुरा को भिजवावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो ।</p> <p style="text-align: right;"> अति० जिला कलक्टर कोटा</p>	